हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

पंद्रहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 138

शुक्रवार, 12 अगस्त, 2022/21 श्रावण,1944 (शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्नः 4632, 4634, 4823 व 5048 (स्थगित) तथा 5266 से 5270 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 5271 से 5302 तथा 5304 से 5308 के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 5303 विलोपित किया गया।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1733, 1841 (स्थगित) तथा 2256 से 2268 तथा 2270 से 2283 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। अतारांकित प्रश्न संख्या 2269 विलोपित किया गया।

अध्यक्ष द्वारा सूचना

"मैं माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूं कि इस सदन में उपस्थित माननीय सदस्य अगर कोविड की बुस्टर डोज लगवाना चाहते हैं तो विधान सभा के पुस्तकालय कक्ष में यह डोज लगाई जा रही है और आप इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा, समस्त माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आज विधान सभा परिसर के गेट नम्बर-। पर माननीय सदस्यों का दोपहर के भोजनावकाश से ठीक पहले सामूहिक फोटोग्राफ होगा। कृपया सभी वहां उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इसके अलावा, महामहिम राज्यपाल महोदय ने माननीय मंत्रिमण्डल के सदस्यों एवं विधान सभा सदस्यों के सम्मान में आज रात्रि 08.00 बजे रात्रिभोज का आयोजन किया है जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं।"

व्यवस्था का प्रश्न

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, सदस्य ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से सदन के ध्यान में एक बहुत ही गम्भीर विषय लाया कि आजकल सोशल मीडिया पर साइबर क्राइम के चलते हमीरपुर में कुछ पत्रकारों व एडवोकेट्स को अश्लील मैसेज आ रहे हैं जिनमें उनको उनकी अश्लील विडियो भेजकर धमकाया जा रहा है और पैसों की मांग की जा रही है। उन्होंने चाहा कि ऐसे केसिज की गहनता से छानबीन की जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके।

मुख्य मंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से यह बहुत ही संवेदनशील विषय है और विभाग से इस बारे में जानकारी हासिल करके जहां भी इस तरह के मामले होंगे उन्हें निपटाने के लिए पुलिस विभाग व साइबर क्राइम की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

श्री अरुण कुमार, सदस्य ने सदन के ध्यान में लाया कि उनके विधान सभा क्षेत्र का एक नौजवान युवक रोज़गार हेतु सऊदी अरब की अल ओमियर ट्रेडिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में जे.सी.बी. ऑप्रेटर के पद पर कार्य करने हेतु गया था। लेकिन कुछ समय बाद वहां पर कार्य करते हुए जे.सी.बी. मशीन के नीचे आने से उसके साथ नियुक्त सहायक की मृत्यु हो गई जिसके कारण यह

मामला सऊदी अरब के न्यायालय में विचाराधीन है और इस कारण उसकी स्वदेश वापसी नहीं हो पा रही है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि इस विषय को पहले भी माननीय सदस्य ने संज्ञान में लाया था इसलिए विषय की गंभीरता को देखते हुए मुख्य सचिव की ओर से विदेश सचिव, भारत सरकार को पत्र प्रेषित कर दिया गया है जिसमें भारतीय दूतावास को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-7(2) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्याः 16/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-24/2018 दिनांक 27.07.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.07.2018 को प्रकाशित;

(ii) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-8(3) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्याः 17/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-24/2018 दिनांक 27.07.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.07.2018 को प्रकाशित;

(iii) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-9(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्याः 18/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-24/2018 दिनांक 27.07.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.07.2018 को प्रकाशित;

(iv) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-11(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्याः 19/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-24/2018 दिनांक 27.07.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.07.2018 को प्रकाशित;

(v) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-54(3) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्याः20/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-24/2018

दिनांक 27.07.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.07.2018 को प्रकाशित;

(vi) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-11(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्याः12/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-33/2017 दिनांक 03.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.07.2018 को प्रकाशित;

(vii) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-9(1),11(1),15(5) और 16(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्याः13/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-24/2018 दिनांक 27.07.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.07.2018 को प्रकाशित;

(viii) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-11(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्याः14/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-24/2018 दिनांक 27.07.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.07.2018 को प्रकाशित;

(ix) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-9(3) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्याः15/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-24/2018 दिनांक 27.07.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.07.2018 को प्रकाशित;

(x) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-11(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्याः8/2018-राज्य कर (दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-6/2018 दिनांक 24.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित;

(xi) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-11(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्याः9/2018-राज्य कर (दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-6/2018 दिनांक 24.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित;

(xii) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-11(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्याः10/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-14/2018

दिनांक 23.03.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.03.2018 को प्रकाशित;

(xiii) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-9(3) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्याः11/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-33/2017 दिनांक 26.05.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 26.05.2018 को प्रकाशित;

(xiv) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-11(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्याः5/2018-राज्य कर (दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-6/2018 दिनांक 24.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित;

(xv) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-9(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्याः6/2018-राज्य कर (दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-6/2018 दिनांक 24.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित;

(xvi) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-11(1)(3) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्याः7/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-6/2018 दिनांक 24.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित;

(xvii) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-9(1), 11(1), 15(5) व 16(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्याः1/2018-राज्य कर (दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-6/2018 दिनांक 24.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित;

(xviii) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-11(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्याः2/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-6/2018 दिनांक 24.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित;

(xix) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-9(3) के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्याः3/2018-राज्य कर(दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-6/2018

दिनांक 24.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित;

(xx) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा-148 के अन्तर्गत अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्याः4/2018-राज्य कर (दर) ई0एक्स0एन0-एफ(10)-6/2018 दिनांक 24.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित;

(xxi) हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 5) की धारा-10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोकतन्त्र प्रहरी सम्मान नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्याःजीएडी-ई-डी(6)-1/2021 दिनांक 21.05.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.05.2022 को प्रकाशित;

(xxii) मंत्रियों के वेतन और भत्ते(हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000(2000 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 8 व 9 के साथ पठित धारा 15 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मन्त्रियों के मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम (संशोधन) नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्याःजीएडी-सी0-डी0(6)-1/2019 दिनांक 21.02.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.02.2022 को प्रकाशित; और

(xxiii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सड़क एवं संरचना विकास निगम सीमित, शिमला का 21वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-2020.

(2) **श्री महेन्द्र सिंह, जल-शक्ति मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश आबादी देह (अधिकारों-अभिलेख) अधिनियम, 2021 की धारा-29 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आबादी देह (अधिकारों-अभिलेख) नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्याःरैव-बी-ए(3)-9/2021 दिनांक 31.05.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.05.2022 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट(विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम 33 के साथ पठित रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016(2016 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा-78 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21; और

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-143(6)(b) के अन्तर्गत शिमला जल प्रबन्धन निगम लिमिटेड का तीसरा वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-2021.

(4) **डॉ0 राम लाल मारकण्डा, तकनीकी शिक्षा मन्त्री** ने बोर्ड अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक लेखा तथा Balance Sheet, वर्ष 2020-2021 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(5) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, शिक्षा मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970(संशोधित) की धारा 29(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के संकलित वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(6) **डॉ0 राजीव सैज़ल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आयुष विभाग, पंचकर्म मालिशिया, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्याःआयु-ए(3)/-3 2021 दिनांक 14.07.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.07.2022 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी।

(7) **श्री सुख राम चौधरी, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री** ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति** (वर्ष 2022-23) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 233वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा आबकारी एवं कराधान विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 234वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा आबकारी एवं कराधान विभाग से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का 235वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के

वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा जल-शक्ति विभाग से सम्बन्धित है;

(iv) समिति का 236वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा जल-शक्ति विभाग से सम्बन्धित है;

(v) समिति का 237वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा जल-शक्ति विभाग से सम्बन्धित है;

(vi) समिति का 238वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा जल-शक्ति विभाग से सम्बन्धित है;

(vii) समिति का 239वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा जल-शक्ति विभाग से सम्बन्धित है;

(viii) समिति का 240वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा जल-शक्ति विभाग से सम्बन्धित है;

(ix) समिति का 241वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा उद्योग विभाग से सम्बन्धित है;

(x) समिति का 242वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा उद्योग विभाग से सम्बन्धित है; और

(xi) समिति का 243वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा उद्योग विभाग से सम्बन्धित है;

(xii) समिति का 244वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा उद्योग विभाग से सम्बन्धित है;

(xiii) समिति का 245वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा उद्योग विभाग से सम्बन्धित है;

(xiv) समिति का 246वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है;

(xv) समिति का 247वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है;

(xvi) समिति का 248वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है;

(xvii) समिति का 249वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है;

(xviii) समिति का 250वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है;

(xix) समिति का 251वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है;

(xx) समिति का 252वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 137वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(xxi) समिति का 253वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 140वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(xxii) समिति का 254वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 142वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है; और

(xxiii) समिति का 255वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 193वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा कृषि विभाग से सम्बन्धित है।

(2) **श्री रमेश चन्द ध्वाला, सभापति, प्राक्कलन समिति** (वर्ष 2022-23) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 24वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में सरकारी स्कूलों में घटते नामांकन की संवीक्षा पर आधारित तथा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 25वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में नाबार्ड के तहत सड़क एवं पुल निर्माण की संवीक्षा पर आधारित तथा योजना विभाग से सम्बन्धित है;

(iii) समिति के 24वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना तृतीय कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(iv) समिति के 30वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना चतुर्थ कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(v) समिति के पंचम् मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 14वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित है; और

(vi) समिति के 25वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना द्वितीय कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान

सभा) (वर्ष 2017-18) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित है।

(3) **कर्नल इन्द्र सिंह, सभापति, लोक उपक्रम समिति** (वर्ष 2022-23) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 59वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 29वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 60वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम(आर्थिक क्षेत्र) (वर्ष 2017-18) 31 मार्च, 2018 के ऑडिट पैरा संख्याः 3.4 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का 61वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम(आर्थिक क्षेत्र)(वर्ष 2016-17) 31 मार्च, 2017 के ऑडिट पैरा संख्याः 3.1 से 3.3 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से सम्बन्धित है;

(iv) समिति का 62वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम(आर्थिक क्षेत्र)(वर्ष 2017-18) 31 मार्च, 2018 के ऑडिट पैरा संख्याः 3.2 व 3.3 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से सम्बन्धित है; और

(v) समिति का 63वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 41वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम से सम्बन्धित है।

(4) **श्री बलबीर सिंह, सभापति, कल्याण समिति** (वर्ष 2022-23) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 44वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 34वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का 45वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 18वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत "मादक द्रव्य तथा नशा निवारण योजना" से सम्बन्धित है।

(5) **श्री अनिल शर्मा, सभापति, जन-प्रशासन समिति** (वर्ष 2022-23) समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 24वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 11वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का 25वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि कार्मिक विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है।

(6) **श्री विनोद कुमार, सभापति, मानव विकास समिति** (वर्ष 2022-23) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 32वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;

(ii) समिति का 33वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;

(iii) समिति का 34वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(iv) समिति का 35वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि तकनीकी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;

(v) समिति का 36वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;

(vi) समिति का 37वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि योजना विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;

(vii) समिति का 38वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि वित्त विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;

(viii) समिति का 39वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;

(ix) समिति का 40वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि आयुष विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;

(x) समिति का 41वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है।

(7) **श्री हीरा लाल, सभापति, सामान्य विकास समिति**(वर्ष 2022-23) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 31वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) कि आवास विभाग की गतिविधियों/कार्यों की संवीक्षा पर आधारित है;

(ii) समिति का 32वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के तृतीय मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का 33वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि परिवहन विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;

(iv) समिति का 34वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;

(v) समिति के प्रथम् मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना द्वितीय कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि जल-शक्ति विभाग से सम्बन्धित है।

(8) **श्री बलबीर सिंह वर्मा, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति** (वर्ष 2022-23) ने समिति का 28वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 17वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सदस्या ने** "to call the attention of the **Jal-Shakti Minister to the situation arising out of the massive cloudburst in Salooni Tehsil causing one death and huge loss to property and public services.**"

जल शक्ति मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(2) **श्री राकेश जम्वाल, सदस्य ने** दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक **"100 मीटर दूर सामान ले जाने के लिए 20 किलोमीटर का लम्बा फेर"** से उत्पन्न स्थिति की ओर **वन मन्त्री** का ध्यान आकर्षित किया।

वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री महेन्द्र सिंह, जल-शक्ति मन्त्री ने "**जल-शक्ति विभाग में वर्ष 2017 से 2022 तक हुए विभिन्न विकासात्मक कार्यों**" पर वक्तव्य दिया।

(01.15 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.15 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त 02.25 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

6. सांविधिक ईकाइयों हेतु मनोनयन

(1) **डॉ0 राम लाल मारकण्डा, तकनीकी शिक्षा मन्त्री** ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कियाः-

> "That in pursuance of the provision contained under Section 16(1)(j) of the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014 (Act No. 2 of 2015), the Members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as the Member of the Board of Governors of Himachal Pradesh Technical University, Hamirpur for a period of three years from the date of nomination".

प्रस्ताव स्वीकार।

(2) **डॉ0 राजीव सैज़ल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कियाः-

"That in pursuance to the provisions contained in Section 26 and 27 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021, the Members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, three women members from amongst themselves to be nominated as Ex-officio Members of the State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board ."

प्रस्ताव स्वीकार।

7. वर्ष 2013-2014 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों पर अधिक मांगों प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों पर अधिक मांगों का विवरण प्रस्तुत करते हुए वक्तव्य दियाः-

मांगों पर विचार एवं पारणः

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि वर्ष 2013-2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मांग संख्या- 2, 3, 4, 5, 10, 13, 16, 17, 21 और 28 के अन्तर्गत हुए अधिक व्यय को नियमित करने हेतु राज्यपाल महोदय को अधिक व्यय की गई राशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

प्रस्ताव स्वीकार।

मांगें पूर्ण रूप से पारित हुईं।

8. विधायी कार्य

(I) सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(i) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 7) पुरःस्थापित हुआ।

(ii) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 8) पुरःस्थापित हुआ।

(iii) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय(संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश न्यायालय(संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 13) पुरःस्थापित हुआ।

(iv) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 14) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 14) पुरःस्थापित हुआ।

(v) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 15) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 15) पुरःस्थापित हुआ।

(vi) **श्री महेन्द्र सिंह, जल शक्ति मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 6) पुरःस्थापित हुआ।

(vii) **श्री महेन्द्र सिंह, जल शक्ति मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 9) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 9) पुरःस्थापित हुआ।

(viii) **श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल हिमाचल प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 10) पुरःस्थापित हुआ।

(ix) **श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 11) पुरःस्थापित हुआ।

(x) **श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 12) पुरःस्थापित हुआ।

(II) सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 7)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 7)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 7)" पारित हुआ।

9. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) **श्री इन्द्र दत्त लखनपाल**, सदस्य द्वारा दिनांक 10 अगस्त 2022 को प्रस्तुत प्रस्ताव "**प्रदेश के वन क्षेत्रों में लगने वाली आग तथा अन्य क्षेत्रों में वर्षा से हो रहे भू-स्खलन एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों तथा सम्पत्तियों को हो रहे नुकसान से बचाव तथा राहत हेतु दी जाने वाली धनराशि बढ़ाने बारे यह सदन विचार करे**, पर चर्चा प्रारंभ-

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल

(03.00 बजे अपराह्न कर्नल इन्द्र सिंह सभापति पदासीन हुए।)

2. श्री बिक्रम सिंह जरयाल
3. श्री जगत सिह नेगी
4. श्रीमती आशा कुमारी
5. श्री परमजीत सिंह
6. श्री राम लाल ठाकुर
7. श्री अरुण कुमार
8. श्री रोहित ठाकुर

(04.20 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए।)

9. श्री राकेश सिंघा
10. श्री मोहन लाल ब्राक्टा
11. श्री बलबीर सिंह वर्मा
12. श्री राजेन्द्र राणा
13. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर

(सदन का समय 5.00 बजे अपराह्न से 6.00 बजे तक बढ़ाया गया।)

14. श्री नन्द लाल
15. श्री लखविन्द्र सिंह राणा

जल शक्ति मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय अध्यक्ष ने जल शक्ति मंत्री के उत्तर पर श्री इन्द्र दत्त लखनपाल के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति प्रदान की।

जल शक्ति मंत्री ने उत्तर दिया।

(2) **श्री रोहित ठाकुर, सदस्य** ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की-

"**प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिगड़ती स्वास्थ्य सुविधाओं** पर यह सदन विचार करे।"

माननीय अध्यक्ष ने उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 13 अगस्त, 2022 को आगे चर्चा किए जाने का निर्णय दिया।

6.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक शनिवार, 13 अगस्त, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।